बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/आरोप (नालन्दा) 02–97/2022–.........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.................

श्री संतोष कुमार चौधरी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजगीर, नालन्दा के विरूद्ध समाहर्त्ता, नालन्दा के पत्रांक–5302/रा0, दिनांक–19.11.2022 द्वारा गठित आरोप पत्र में रेल विभाग, राजगीर के भूमि का दाखिल खारिज की स्वीकृति देने, जिला परिषद, राजगीर के भूमि का दाखिल खारिज की स्वीकृति देने, बिहार धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा निबंधित हसनपुर मठ का भूमि का दाखिल खारिज की स्वीकृति देने, लोदीपुर स्थिति भूमि जिसपर स्वत्व वाद चल रहा है तथा इसी भूमि को लेकर नरसंहार हुआ था, उस भूमि का दाखिल खारिज की स्वीकृति देने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की प्राचीन स्मारको तथा पुरातत्वी स्थलों एवं अवशेषों के रख रखाव के भूमि का गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर एक साथ 60 वर्षो का लगान रसीद निर्गत कर देने तथा मौजा–कटारी स्थित गैरमजरूआ आम भूमि का दाखिल खारिज की स्वीकृति देने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के लिये विभागीय संकल्प सं0–1880(15) दिनांक–02.12.2022 से निलम्बित किया गया। निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया।

2. गठित आरोप पत्र के आलोक में श्री चौधरी से विभागीय पत्रांक–1997(15) दिनांक–16.12.2022 द्वारा लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में दिनांक–15.02.2024 को अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–701(15) दिनांक–12.04.2024 द्वारा समाहर्त्ता, नालन्दा से मंतव्य की मांग की गयी।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण के परिशीलन एवं समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक जाँच के निमित्त विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का लिये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–1225(15) दिनांक–22.07.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। संचालनोपरान्त अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, नालन्दा को संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राजगीर, नालन्दा को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. निलम्बन अवधि तीन वर्षो से अधिक हो जाने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–13888 दिनांक–21.07.2023 में अंकित प्रावधनों के आलोक में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिहार राजस्व सेवा के निलंबित पदाधिकारियों को निलंबन मुक्त किये जाने हेतु विभागीय समिति द्वारा दिनांक–30.07.2025 को आहूत बैठक में इस मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा निलंबन मुक्त किये जाने की अनुशंसा की गयी। समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संतोष कुमार चौधरी को निलम्बन मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संतोष कुमार चौधरी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजगीर, नालन्दा सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय– प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना) को निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में श्री ~~सम्म~~ चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। निलंबन मुक्ति के पश्चात श्री चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नालन्दा) 02–97/2022–........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–........................

ई–मेल

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, नालन्दा/आयुक्त के सचिव, पटना प्रमंडल, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना एवं नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नालन्दा) 02–97/2022–...................... (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–............................

निबंधित

प्रतिलिपि :–श्री संतोष कुमार चौधरी, निलंबित अंचल अधिकारी, **मुख्यालय– प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नालन्दा) 02–97/2022–....528.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–13.4.26

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल में**)/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री संतोष कुमार चौधरी** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

10/4/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Suspension mukt_26\Santosh kr choudhary_CO_ (rajgir_nalanda).doc